ज्ञापांक–1203/Tech./2022

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–09वीं मार्च 2022

सेवा में,

Mr Raja Chhabra,
DIVINE STEELS PRIVATE LIMITED,
1465/Sector 15 Faridabad Faridabad Haryana - 121007

विषयः– **मौजा–Konra, प्लाट नं0–1485P, 1491P, 1492, 1493P, 1522P, 1523P, 1524P, 1525P, खाता संख्या–32, 46, 52, 55, 64, 72, 78, वार्ड नं0–N/A, थाना–बरही–72 जिला–हजारीबाग में प्रस्तावित Divine Steels Pvt. Ltd. फैक्ट्री भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।**

उपर्युक्त विषयक ऑन–लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित फैक्ट्री भवन के स्थल की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, बरही, हजारीबाग के माध्यम से प्रस्तावित स्थल की भौतिक जाँच कराई गई। उनके द्वारा अपने ज्ञापांक–45 दिनांक–05.03.2022 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में उक्त फैक्ट्री भवन हेतु निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं :–

1. प्रस्तावित फैक्ट्री भवन परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 1,00,000 लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस अंडरग्राउंड टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन किये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. फैक्ट्री भवन के चारों तरफ 150mm डायावाले एक रिंग मेन्स का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें प्रयेक 30-30 मीटर अथवा उसके भाग पर दो–दो यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा एक–एक अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स की संस्थापन कराया जाय।
4. फैक्ट्री भवन के ऑफिस को Smoke Detector System से सुरक्षित किया जाय एवं ऐसी व्यवस्था रखी जाय।
5. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
6. पम्प को स्वचालित एवं स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
7. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए एवं Travel Distance मानक के अनुरूप होना चाहिए।
8. फैक्ट्री भवन में फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
9. फैक्ट्री भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रिशियन के माध्यम से कराया जाय।
10. फैक्ट्री भवन में प्रति 400 वर्गमीटर के लिये कम से कम 4.5Kg क्षमता वाले एक–एक अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
11. फैक्ट्री भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
12. बिजली के मेन स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रिकल पैनल एवं इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पास 4.5 के0जी0 क्षमता के 03-03 अदद सी0ओ0टू0 तथा 4.5Kg क्षमता के 04-04 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।

13. फैक्ट्री भवन के परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।

i. MECHENICAL FOAM 25लीटर क्षमता का	– 01 अदद।
ii. DCP Fire Extinguisher 25 kg	– 02 अदद।
iii. Fire Bucket	– 08 अदद स्टैण्ड के साथ।
iv. Fire Hook	– 04 अदद।
v. Fire Bitter	– 04 अदद।

14. फैक्ट्री भवन में Manually Operated Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, इसका हूटर इतना शक्तिशाली हो कि किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इसकी आवाज पूरे परिसर में स्पष्ट रूप से सुनाई दे।
15. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड, पैनल एवं सभी उपकरणों को Auto Modular Fire extinguisher एवं रबड़ मैट से सुरक्षित किया जाय।
16. मेन ईलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड के पास फर्श पर कम से कम 30 MM मोटा रबड़ मैट लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
17. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
18. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
19. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किया जा सकेगा।
20. फैक्ट्री भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
21. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.7 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

JAGJEEWAN RAM

Digitally signed by JAGJEEWAN RAM
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, 2.5.4.20=6e18ddf6a747613d2f4c403b5001134ec2902b6bf90be3cc4ac5ffdd851f54d7, postalCode=834002, st=Jharkhand, serialNumber=19585870ee67dbaf143b636d6f0c97a7bc8a01d90f3ec025de5383159f431a70, cn=JAGJEEWAN RAM
Date: 2022.03.09 18:12:05 +05'30'

(जगजीवन राम),
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।